Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

208-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025 (AGRAHAYANA 25, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 16th December, 2025

No. 31-HLA of 2025/72/28819.— The Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 31-HLA of 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine Act, 2009.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine (Amendment) Act, 2025.

Amendment of section 8 of Haryana Act 12 of 2010.

2. Clause (c) of section 8 of the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine Act, 2009 shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The sub-section (c) of Section 8 of the Act disqualifies any person who is "a deaf, mute or is suffering from contagious leprosy or any virulent contagious disease" from being nominated as a Member of the Board. The Act was enacted in the year 2010 in compliance of Supreme Court directions dated 07.05.2025 passed in W.P. (c) No. 83 of 2010 titled Federation of Lepy. Organ. (FOLO) Vs. Union of India and with the change in social structure where now physically challenged and terminally ill persons command great acceptability and respect in the society, to continue with the said provision appears unwarranted.

2. Hence, it is necessary to carry out amendment in the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine Act, 2009 (12 of 2010) by way of enacting the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine (Amendment) Bill, 2025.

VIPUL GOEL,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th December, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 31–एच०एल०ए०

हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल अधिनियम, 2009 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल अधिनियम, 2009 की धारा 8 के खण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा। 2010 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 8 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ग) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह बहरा, गूँगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है। फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन (फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाले डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 83/2010 में पारित दिनांक 07–05–2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2010 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक संरचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित हैं, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है।

2. इसलिए, यह आवश्यक है कि हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल अधिनियम, 2009 (2010 का 12) में हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 के द्वारा संशोधन किया जाए।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12279—H.V.S.—H.G.P., Pkl.